

अंचल अधिकारी का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या-

83/16

वाद का प्रकार- विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के झापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजलूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ०नि०द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- नो० 1341, थाना- 346, खाता संख्या- 2, प्लॉट संख्या- 123, 171, 182, रकबा- 2-2-01, एकड़ की भूमि जो गैरमजलूआ खास, अनाबाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 38 पर जमाबंदी रैयत के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक-16/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- विजयरादे क. 10/1 राजगुमी ति
ब. नौडीय
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
नौडीय	346	2	123 -	2 = 01
			171 -	1015
			182 -	9235
				9257
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या..... पृष्ठ सं०- 38 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 92=13
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :-
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- SPD
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनियमित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोवस्ती - 144/02-13)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या

7

लगान रसीद संख्या

4968259

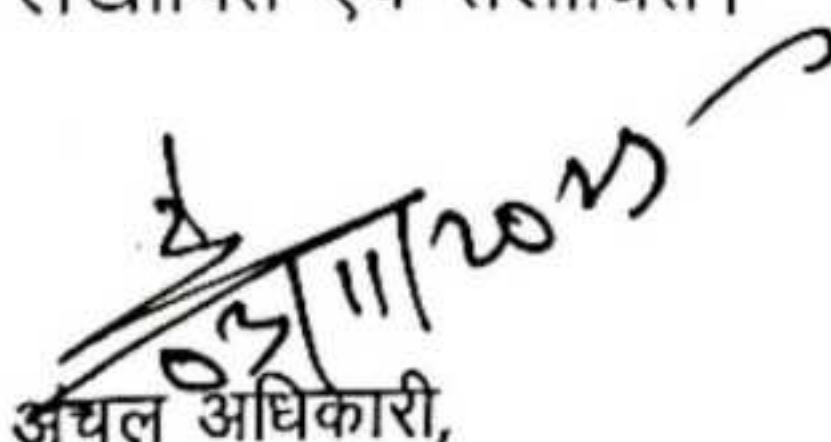
रसीद निर्गत तिथि

19/1/72

वसूली वर्ष

92=13

[Signature]

आदेश की सं० एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्यवाई की टिप्पणी सहित
1	2	3
03/11/2025	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अंकित है कि “मौजा-नौडीहा में जाकर राजस्व कागजात एवं नक्शा का मिलान करके अंचल अमीन के साथ स्थलीय जांच किया। जांच में पाया कि गैरमजरूआ खास खाता सं०-2, प्लॉट सं०- 123, 171 व 182 रकबा क्रमशः 1.15 ए०, 0.35 ए०, व 0.51 ए० कुल रकबा 2.01 ए० पर विजया देवी पति राजमुनी सिंह के द्वारा जोत-कोड़ किया जा रहा है। उनके द्वारा जांच के दौरान बंदोबस्ती पर्चा एवं निर्गत रसीद प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि अनुमण्डल पदा० सदर मेदिनीनगर के बंदोबस्ती वाद सं० 144/2002-03 के अन्तर्गत को मौजा-नौडीहा थाना नं०-346 के अंतर्गत उक्त खाता सं०-2, प्लॉट सं०- 123, 171 व 182 कुल रकबा 2.01 ए० की बंदोबस्ती उक्त रैयत विजया देवी पति राजमुनी सिंह के नाम से हुआ है जिसका जमाबंदी मौजा नौडीहा के मांग पंजी II के पेज सं० 38/IV पर दर्ज होकर वर्ष 2012-13 तक रसीद निर्गत हो रहा है। इस प्रकार उक्त जमाबंदी संदेहास्पद/अवैध प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त जमाबंदी को संदेहास्पद/अवैध जमाबंदी से मुक्त किया जा सकता है।” अतः अंचल अमीन, राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किए गए जांच प्रतिवेदन एवं सुनवाई से प्राप्त तथ्यों के आधार पर संदेहास्पद जमाबंदी से मुक्त करते हुए वाद की कार्यवाई <u>मुनाय</u> की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अंचल अधिकारी, मनातू।  अंचल अधिकारी, मनातू।	

सेवा में, अंचल अधिकारी
मनासू, पलामू।

विषय - अर्द्ध जमावड़ी केस नं० 83/2016-17 का
जांच प्रतिवेदन।

महोदय,
उप दस्ता-विषय के अंतर्गत में कहना है कि
मौजा नौडिहा में जाड़ा राजसू कागजात एवं
गुंजा अभिलेखन इस्तेमाल अर्द्ध जमावड़ी के खान
स्पष्टीकरण जांच किया जांच में पता कि 50 खास
खाना खं० 2 ब्लॉक खं० 123, 171 व 182 रुका
कुमारा 1.15 रु०, 0.35 रु० व 0.51 रु० कुल रुका
2.01 रु० पर विजया देवी पति राजसूनी सिंह
के द्वारा जोर डीढ़ किया जा रहा है। उनके द्वारा
जांच के दौरान बन्दोबस्ती पर्चा एवं निर्गत स्वीकृति
प्रस्तुत किया गया है, जिससे पता चलता है कि
अनुप पक्ष के बन्दोबस्ती बाद खं० 144/02-03 के
अन्तर्गत फिनांश का मौजा नौडिहा खाना खं० 346
के अन्तर्गत इस खाना खं० 2 ब्लॉक खं० 123, 171
व 182 रुका 2.01 रु० की बन्दोबस्ती इस ई-पत्र
विजया देवी पति राजसूनी सिंह के नाम से हुआ
है जिसका जमावड़ी मौजा नौडिहा के मांग पंजीयन
के पेज नं० 28/IV पर दर्ज होकर वर्ष 2012-13 का
बरीक निर्गत हो रहा है। इस प्रकार इस जमावड़ी
बन्दोबस्त में अर्द्ध जमावड़ी नहीं होता है।
अतः इस जमावड़ी को बन्दोबस्त
जमावड़ी से मुक्त किया जा सकता है।


रसूल

विश्वासभाजन
पीरेन्द्र शर्मा
2003.11.10

अंचल अधिकारी, मनातू का कार्यालय
वाद अभिलेख संख्या ...83.../2016(अन्तर्गत धारा 4(h), BLR Act, 1950)
नोटिस

बनाम विष्णु देवी w/o राजगुनी सिंह
2010 - गौडि

एतद् नोटिस द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मैजा थाना नं०.....
खाता नं०..... 2 - खेसरा नं० 123/21 रकबा 2.201 से संबंधित आपके नाम से हो० नं०.....
पंजी भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक
माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है ।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त :
रिटर्न 1 भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म
सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं ठ
साक्ष्यो की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पूष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं क
तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुंचते हुए दर्ज जमाबंदी के
में युक्ति युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा कर दी जाएगी ।

इसे सख्त ताकिद जाने ।

तिथि :

मुहर

स्थान :

24/10/24
अंचल अधिकारी
अंचल अधिकारी
मन्मथ पलामु